न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.एस.एस उपखंड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या :– 52/2016

सुंभाषचन्द्र पिता बोतलाल जी आचारज (ब्राम्हण) निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. कचरू पिता जगन्नाथ जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
2. हरकु पिता जगन्नाथ जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
3. हजारी पिता कालू जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
4. बंशीलाल पिता रामलाल जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
5. कालीबाई पत्नी कचरू धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
6. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ
7. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ
8. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ प्रतिनिधी राज0 राज्य

प्रतिवादीगण

उपस्थितः:– श्री देवेन्द्रसिंह
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31.10.2017

निर्णय वाद अ0धा0 53–88–188 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम बंदे का राजपुरा प0ह0 मेघपुरा में वादीएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात दर्ज रकार्ड है जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता सख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में
09	128	0.2270
	131	0.0400
	132	0.0490
	133	0.0240
	134	0.3400
	135	0.3560
	136	0.0240
	156	0.1620
	कीता–8	1.2220हैक्टर

उक्त वर्णित संयुक्त अविभाजित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा है । वर्णित आराजीयात में मुझ वादी का 1/8 हक व हिस्सा निहित है तथा इसी हक व हिस्सा अनुसार मै वादी मौकेपर काबिज हूँ । प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/4 हक हिस्सा ,प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हक हिस्सि , प्रतिवादी सं0 4 का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 5 का 1/8 हक हिस्सि निहित होकर इसी हक एवं हिस्सा अनुसार मौकेपर काबिज होकर काश्त कर करते चले आ रहे है । उक्त कृषि आराजीयात संयुक्त खातेदारी में होने से भूमि पर ऋण लेने व भूमि का लगान अदा करने में मुझवादी को परेशानी आ रही है । मुझ वादी द्वारा दिनांक 25.05.2016 को सभी प्रतिवादीगणसे तहसील में चलकर आपसी सहमती से बंटवारा कराने की कहा गया तो उन्होने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिसके कारण मुझ वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

प्रतिवादीगण उक्त वर्णित अविभाजित कृषि आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है चूंकि आराजीयात का अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनन विभाजन नहीं हुआ है एवं यदि प्रतिवादीगण बिना कानूनन विभाजन के आराजी के किसी हिस्से को खुर्द बुर्द कर देगें तो वादी को भारी क्षति होगी जिसके लिए स्थाई समाधान हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कियाजाना न्यायसंगत है । वाद कारण दिनांक 25.05.2016 को उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है । प्रतिवादी सं0 6 शाखा प्रबंधक बी.ओ.बी बेगूँ यहा प्रतिवादी सं0 3 का हक हिस्सा रहन होने से वाद पत्र में उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है ।

अतःवादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता हैः–

1. कि ग्राम बंदेका राजपुरा प.ह. मेघपुरा की खाता संख्या 09में अंकित आराजी संख्या 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 156 कुल कीता– 8 कुल रकबा 1.2220हैक्टर आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी का 1/8हिस्सा एवं प्रतिवादीसं0 1 व 2 का 1/4, प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 प्रतिवादी सं0 4 का 1/4 एवं प्रतिवादीसं0 5 का 1/8 हिस्सा विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान फरमाई जावें ·
2. किवाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आरहाजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक रूप से खाता मेंवादी एवं प्रतिवादीगण के नामदर्ज कराये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान फरमाई जावे।
3. कि वाद पत्र की कलम सं0 1 मेंवर्णित आराजीयात के किसी भू–भाग को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से न तो स्वयं एवं न ही अपने किसी नौकर ,ऐजेण्ट रिश्तेदार आदि से खुर्द बुर्दन करावें एवं वादी केशांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करावें इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबंद फरमाया जाने की आज्ञप्ति प्रदान फरमाई जावें।
4. कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ·।
5. कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । यह पत्रावली तलबी में विचाराधीन थी , राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो की पालना में पत्रावली को विभाजन हेतु राजस्व लोक अदालत कैम्प मेघपुरा पर दिनांक 01.06.2016 को रखाया गया जिसमें वादी एवं सभी प्रतिवादीगण उपस्थित आये । वक्त लोक अदालत कैम्प में सभी पक्षकारान को सुना जाकर दिनांक 01.06.2016 को वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया गया ।

" अतः वाद वादी का अ0धा0 53–88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा बंदे का राजपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजी संख्या 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 156 कुल कीता– 8 कुल रकबा 1.2220हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/8,प्रतिवादी सं0 1 व 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 3 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 4 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/8 हिस्सनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार , बेगूँ को भेजी जावें । फर्द बंटवारा रिपोर्ट दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ तलब किया जावे। "

उक्त आदेश की पालना में डिक्री प्रति तहसीलदार, बेगूँ को लोक अदालत में दी गई जिसकी पालना में आज न्यायालय में लगाई गई लोक अदालत में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत डोराई द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ फर्द बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ को दिनांक 30.10.2017 को प्रस्तुत की गई जिसे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 1466 दिनांक 30.10.2017 को इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया । प्राप्त फर्द फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्त वादी को सुना गया जिन्होने उक्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री अनुसार होना जाहिर किया जिससे वाद वादी का अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः वाद वादी अ0धा0 53–88–188 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बंदे का राजपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

1– वादी सुभाषचन्द्र पिता बोतलाल आचारज ब्राम्हण निवासी बेगूँ खातेदार रहन एस.बी.बी.जे.शाखा बेगूँ के नाम पर निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया :–

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
131	0.040	0.10
132	0.049	0.12
133	0.024	0.06
134मे से	0.034	1.63
136मेसे	0.006	0.02
कुलकीता– 5	0.153 हैक्टर	1.93

2– प्रतिवादी श्रीमति हरकु पत्नि जगन्नाथ की मृत्यु हो जोने से उसके विधिक वारिस कचरू सोहनी पिता जगन्नाथ एवं कचरू पिता जगन्नाथ धाकड निवासी बंदे का राजपुरा खातेदार रहन राजगढ तालाब ग्रा.से.स.लि. के नाम पर निम्नुनसार प्रस्तावित किया गया :–

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
128	0.227	9.99
135मे से	0.065	2.86
136मे से	0.013	0.03
कुल कीता–3	0.305हैक्टर	12.88

3– प्रतिवादी श्रीमति कालीबाई पत्नि कचरूलाल धाकड सा0देह खातेदार के नाम पर आराजी नं0 135 रकबा 0.153है0 लगान 6.73रूपये प्रस्तावित किया गया ।

4– प्रतिवादी श्री हजारी पिता कालू धाकड सा0देह खातेदार रहन बैक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ के नाम निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया ।

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
156	0.162	2.95
135मेसे	0.138	6.07
136मेसे	0.005	0.01
कुल कीता–3	0.305हैक्टर	9.03

5– प्रतिवादी श्री बंशीलाल पिता रामलाल धाकड सा.बंदे का राजनगर खातेदार के नाम पर आराजी नं0 134 मे से रकबा 0.306हैक्टर लगान 13.33रूपये प्रस्तावित किया गया ।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया जाता है कि वह वादी के हिस्से में आई आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य` करावें।

निर्णय दिनांक 31.10.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :– 52/2016

सुंभाषचन्द्र पिता बोतलाल जी आचारज (ब्राम्हण) निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. कचरू पिता जगन्नाथ जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
2. हरकु पिता जगन्नाथ जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
3. हजारी पिता कालू जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
4. बंशीलाल पिता रामलाल जी धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
5. कालीबाई पत्नी कचरू धाकड निवासी बंदेका राजपुरा तह0 बेगूँ
6. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ
7. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ
8. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ प्रतिनिधी राज0 राज्य

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में इस वाद पत्र अ0धा0 53–88–188 आर0टी0एक्ट का आज तारीख 31/10/2017 को उपखंड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर पेश होने पर अंतिम डिक्री के आदेश दिये जाते हैं :–

अतः वाद वादी अ0धा0 53–88–188 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बंदे का राजपुरा प0ह0 मेघपुरा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

1– वादी सुभाषचन्द्र पिता बोतलाल आचारज ब्राम्हण निवासी बेगूँ खातेदार रहन एस.बी.बी.जे.शाखा बेगूँ के नाम पर निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया :–

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
131	0.040	0.10
132	0.049	0.12
133	0.024	0.06
134मे से	0.034	1.63
136मेसे	0.006	0.02
कुलकीता– 5	0.153 हैक्टर	1.93

2– प्रतिवादी श्रीमति हरकु पत्नि जगन्नाथ की मृत्यु हो जोने से उसके विधिक वारिस कचरू सोहनी पिता जगन्नाथ एवं कचरू पिता जगन्नाथ धाकड निवासी बंदे का राजपुरा खातेदार रहन राजगढ तालाब ग्रा.से.स.लि. के नाम पर निम्नुनसार प्रस्तावित किया गया :–

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
128	0.227	9.99
135मे से	0.065	2.86
136मे से	0.013	0.03
कुल कीता–3	0.305हैक्टर	12.88

3– प्रतिवादी श्रीमति कालीबाई पत्नि कचरूलाल धाकड सा0देह खातेदार के नाम पर आराजी नं0 135 रकबा 0.153है0 लगान 6.73रूपये प्रस्तावित किया गया ।

4– प्रतिवादी श्री हजारी पिता कालू धाकड सा0देह खातेदार रहन बैक ऑफ बडौदा शाखा बेगूँ के नाम निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया ।

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
156	0.162	2.95
135मेसे	0.138	6.07
136मेसे	0.005	0.01
कुल कीता–3	0.305हैक्टर	9.03

5– प्रतिवादी श्री बंशीलाल पिता रामलाल धाकड सा.बंदे का राजनगर खातेदार के नाम पर आराजी नं0 134 मे से रकबा 0.306हैक्टर लगान 13.33रूपये प्रस्तावित किया गया ।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद भी किया जाता है कि वह वादी के हिस्से में आई आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य` करावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 31/10/2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

प्रतिलिपि : तहसीलदार बेगूँ को मय नक्शाद्रेस से साथ पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ